89

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी

तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई

वाद सं0टी 201510330388

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0

ग्राम नेकपुर हातिमपुर परगना व

तह0 बिलग्राम जनपद हरदोई।

श्री रामप्रसाद कुशवाहा महाविद्यालय नेकपुर हातिमपुर तिराहा साण्डी हरदोई द्वारा प्रबन्धक नरेन्द्र कुमार कुशवाहा पुत्र श्री रामप्रसाद कुशवाहा नि0 ग्राम घेघइया मजरा बबनवा परगना व तहसील बिलग्राम जिला हरदोई---वादी

बनाम

सरकार ---प्रतिवादी

आज पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादी के अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि भूमिखण्ड सं0 107/4.0350 स्थित ग्राम नेकपुर हातिमपुर परगना व तहसील बिलग्राम जिला हरदोई पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में बतौर सहखातेदार अंकित है तथा काबिज व दखील है। भूखण्ड सं0 107/4.0350हे0 में रामबक्स पुत्र दीनदयाल का 1/2 भाग जिसमें से 0.341हे0 का बैनामा दि0 18.06.14 को वादी के पक्ष में कर दिया है। भू0 खण्ड सं0 107/4.0350 में गिरवर पुत्र दीनदयाल का 1/2 भाग जिसमें से 0.676हे0 का बैनामा वादी के पक्ष में दिनांक 18-6-14 को कर दिया है। उपरोक्त दोना बैनामों के आधार पर कुल क्षेत्रफल 1.017हे0 वादी का हो गया है। भूमि खण्ड सं0 107/1.017हे0 स्थित नेकपुर हातिमपुर पर0 व तह0 बिलग्राम में उपरोक्त महाविद्यालय निर्मित है। उक्त भूखण्ड में कृषि कार्य नही होता है तथा उक्त भूमि को विद्यालय के रूप मे प्रयोग किया जा रहा है। भूमि खण्ड सं0 107/1.017हे0 जो महाविद्यालय के रूप में अंकित है पर कृषि कार्य के विपरीत भूमि आवासीय उपयोग में लाये जाने के कारण भू0राजजस्व मुक्त आबादी घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अन्त में उपरोक्त भूमिखण्ड सं0 107/1.017 स्थित ग्राम नेकपुर हातिमपुर परगना व तहसील बिलग्राम पर कृषि कार्य/बागबानी/कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन के विपरीत आवासीय उपयोग में लाये जाने के कारण भूराजस्व मुक्त आबादी घोषित किये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गयी। लेखपाल/राजस्व निरीक्षक ने अपनी आख्या दिनांक-05.12.2014 में उल्लिखित किया है कि गाटा सं0 107मि0/1.017 श्री रामप्रसाद कुशवाहा महाविद्यालय नेकपुर हातिमपुर तिराहा साण्डी हरदोई द्वारा प्रबन्धक नरेन्द्रपाल कुशवाहा पर भवन का निर्माण किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन से भिन्न प्रयोजनों हेतु काम में लायी जा रही है। अन्त में उक्त भूमि को भू-राजस्व से मुक्त घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है। लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या को तहसीलदार बिलग्राम द्वारा दिनांक-09.12.2014 को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम नेकपुर हातिमपुर परगना साण्डी तहसील बिलग्राम की खतौनी सन् 1422-1427फ0 के खाता सं0 50 पर अंकित गाटा सं0 107 रकबा 1.017 हे0 पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, बागवानी न होने तथा अकृषिक (भवन) उपयोग मे लाये जाने के कारण ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत भूराजस्व मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबंधक बिलग्राम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक-12-01-2015

(प्रेम प्रकाश तिवारी)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी
तहसील बिलग्राम जिला हरदोई

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की 13/5/22
प्रार्थना पत्र तैयार होने की 5/7/22
दिन जो तैयारी में लगे 52 दिन
हस्ताक्षर वितरित कर्ता
दिनांक

प्रतिलिपि तैयार करने वाले का नाम
हस्ताक्षर
शब्द

अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, हरदोई